भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2917

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

29 फाल्गुन, 1941 (शक)

बायोमीट्रिक डाटा की सुरक्षा

2917. डा. के.वी.पी. रामचन्द्र राव :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आधार आंकड़े एकत्रित करते समय लोगों के बायोमीट्रिक डाटा की सुरक्षा के बारे में आश्वस्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कई राज्य स्वयं द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने हेतु आधार आंकड़ों को निजी कम्पनियों के साथ साझा कर रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के आंकड़ों का प्रबंधन करने वाली निजी कम्पनियों के साथ आधार आंकड़ों को साझा करने पर कोई प्रतिबंध लगाए हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) और **(ख)** : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) डेटा प्रत्येक समय अर्थात स्थिर अवस्था, पारगमन और भंडारण में पूर्णतया सुरक्षित/एनक्रिप्टिड है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की अच्छी प्रकार से डिजाइन की गई बहुपरतीय सुदृढ़ प्रणाली है तथा इसका सतत रूप से दर्जा बढ़ाया जा रहा है ताकि डेटा सुरक्षा और निष्ठा के उच्चतम स्तर को कायम रखा जा सके। आधार पारिप्रणाली की वास्तुकला का डिजाइन सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है जो आरंभिक डिजाइन से लेकर अंतिम चरण तक प्रणाली का एक एकीकृत भाग है।

व्यापक सूचना सुरक्षा नीतियां और कार्य नीतियां निर्धारित की गई हैं और इनकी नियमित रूप से समीक्षा और अद्यतन किया जाता है, इस प्रकार यूआईडीएआई परिसर के अंदर और बाहर लोगों, सामग्री और डेटा विशेष रूप से डेटा केंद्रों में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर समुचित रूप से नियंत्रण और निगरानी रखी जाती है। सुरक्षा लेखा परीक्षक नियमित आधार पर किए जाते हैं।

इसके अलावा, यूआईडीएआई डेटा केंद्रों में वास्तविक स्तर पर सुरक्षा की विभिन्न परतें हैं जिसका प्रबंधन प्रत्येक समय सशस्त्र सीआईएसएफ कार्मिकों द्वारा किया जाता है।

आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और बाद में आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019, जिसमें अपराधियों के लिए कठोर शास्ति/दंड का प्रावधान है, के अधिनियमित होने से आधार पारिप्रणाली की सुरक्षा आश्वासन और सुदृढ़ हुई है।

यूआईडीएआई को सूचना सुरक्षा की दृष्टि से आईएसओ 27001:2013 से प्रमाणित घोषित किया गया है जिसमें आईटी सुरक्षा आश्वासन की एक अन्य परत शामिल की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70 की उपधारा (I) के अनुसरण में यूआईडीएआई को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र द्वारा एक संरक्षित प्रणाली के रूप में भी घोषित किया गया है।

(ग) : ऐसी कोई घटना यूआईडीएआई के संज्ञान में नहीं आई है।

(घ) : आधार (अधिप्रमाणन) विनियमों, 2016 के विनियम 14(1)ड के अनुसार अनुरोधकर्ता इकाई अधिप्रमाणन प्रचालनों और परिणामों के लिए जिम्मेदार होगी, यद्यपि यह तीसरे पक्षकारों के लिए अपने प्रचालनों का सबकान्ट्रेक्ट पार्ट हो। इसके अलावा आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 के विनियम 17(1) (घ) के अनुसार कोई अनुरोधकर्ता इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि अधिप्रमाणन के दौरान प्राप्त पहचान संबंधी सूचना का प्रयोग अधिप्रमाणन के समय केवल आधार संख्या धारक के लिए विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए ही किया जाए और आधार संख्या धारक, जिससे वह सूचना संबंधित है की पूर्व सहमति के बिना ऐसी सूचना को प्रकट न किया जाए।

इसके अलावा, आधार (सूचना का साझारण) विनियम, 2016 का खण्ड 6 विशेष रूप से आधार संख्या के साझाकरण, परिचालन या प्रकाशन पर लगे प्रतिबंधों से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि –

(1) किसी व्यक्ति के आधार संख्या किसी भी व्यक्ति या इकाई या एजेंसी द्वारा प्रकाशित, प्रदर्शित या सार्वजनिक रूप से पोस्ट नहीं की जाएगी।

(2) कोई भी व्यक्ति, इकाई या एजेंसी, जो आधार संख्या धारक के आधार संख्या के अधिकार क्षेत्र में है, वह आधार संख्याओं और आधार संख्या से संबंधित किसी भी रिकार्ड और डेटाबेस की सुरक्षा और गोपनीयता को सुनिश्चित करेगी।

(3) अनुरोधकर्ता इकाई समेत, कोई इकाई, आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करते समय उसको निर्दिष्ट किए गए उद्देश्यों के लिए आवश्यकता से अधिक समय हेतु आधार संख्या या आधार संख्या युक्त किसी दस्तावेज या डाटाबेस को नहीं रखेगी।

*****